न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2025/152

1. अमर सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह,
2. कर्ण सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह,
3. महावीर सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह,
4. राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह,
5. विजय सिंहपुत्र श्री छत्तू सिंह,
6. शेर सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह,

समस्त जातियान राजपूत, निवासीयान पीपली, तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमि अधिकारी तहसीलदार तहसील सूरजगढ़, जिला झुन्झुनूं।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक प.12(3)(2)राज/2025/45 निर्णय दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.12(3)( ) राजस्व/2025/86 निर्णय दिनांक 10.01.2025 के द्वारा आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने के आदेश पारित किये गये।

उपस्थित :—

1. श्री बी. एस. राठौड़, वकील अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक— 14.08.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के आदेश क्रमांक प.12(3)(2)राज/2025/45 निर्णय दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश क्रमांक प.12(3)( )राजस्व/2025/86 निर्णय दिनांक 10.01.2025 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 12.03.2025 को पेश की गई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत पीपली द्वारा मॉग करने पर उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के पत्रांक राजस्व/2024/1551 दिनांक 20.12.2024 तथा तहसीलदार पिलानी के पत्रांक 29 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा ग्राम पीपली स्थित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बारानी—1 में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बारानी—1 में से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म चाही—1 में से सम्पूर्ण कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत पीपली को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया है। ग्राम पीपली की जमाबन्दी सम्वत् 2074—2077 के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर आबादी बसी हुई है तथा विवाद रहित बताई गयी है। उक्तानुसार ग्राम पंचायत पीपली द्वारा भूमि आरक्षण के संबंध मय प्रस्ताव पत्र भूमि को आबादी विस्तार किये जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा उक्तानुसार भूमि आरक्षित किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने आदेश क्रमांक प.12(3)(2) राज/2025/45 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पीपली स्थित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म चाही–1 में से सम्पूर्ण कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर भूमि की किस्म खारिज कर ग्राम पंचायत पीपली को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसके पश्चात् उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 के सम्बन्ध में तहसीलदार पिलानी ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/38 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त आवंटित आदेश में वर्णित ख.न. 543 में माननीय न्यायालय आरएए सीकर द्वारा दिनांक 15.03.2022 से स्थगन आदेश प्रभावी है, अतः उक्त खसरा नम्बर में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन न्यायसंगत नही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपने संशोधित आदेश क्रमांक प.12(3)( )राजस्व/2025/86 निर्णय दिनांक 10.01.2025 द्वारा आवंटित आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 543 में किया गया भूमि आरक्षण निरस्त किये जाने एवं शेष आदेश यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये।

3. जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट अमर सिंह पुत्र श्री छत्तू सिंह वगै रहा ने यह अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं जिला कलेक्टर झुन्झुनूं के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झुन्झुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 को दिये जाने के समय केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के पत्रांक राजस्व/2024/1551 दिनांक 20.12.2024 एवं तहसीलदार पिलानी के पत्रांक 29 दिनांक 08.01.2025 को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है तथा उक्त कृषि भूमि विवाद रहित बताई गई है, जबकि उक्त कृषि आराजीयात के बाबत दावा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनूं के समक्ष दिनांक 30.11.2009 को बउनवानी भगवाना राम व अन्य बनाम महावीर सिंह व अन्य के नाम से प्रस्तुत किया गया था, इस प्रकार अपीलाधीन कृषि आराजीयात के बाबत मुकदमेबाजी प्रारम्भ से ही लम्बित होकर वर्तमान समय तक निर्णित नही हुई है, ऐसी स्थिति में उक्त कृषि आराजीयात को विवाद रहित बताकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो की प्रथम दृष्टया ही दस्तावेजी रिकार्ड से गलत साबित होने से अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा अपीलाधीन आदेश किये जाने से पूर्व खसरा नम्बर 393, 394 व 543 ग्राम पीपली, तहसील सूरजगढ के खातेदार काश्तकारों को उनके खातेदारी अधिकार से बेदखल किये जाने से पूर्व उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अति आवश्यक होकर न्यायोचित था, जो कि जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा उक्त प्रकरण में अमल में नही लाये जाने की वैधानिक स्थिति में भी अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाये जाने योग्य है। कृषि आराजीयात खसरा नम्बर 393, 394 व 543 ग्राम पीपली, तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनूं के सम्बन्ध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सूरजगढ जिला–झुन्झुनूं द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2014 में दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

12.11.2021 को निर्णय करते हुए खसरा नम्बर 393 एवं खसरा नम्बर 270/1 के सम्बन्ध में भगवाना व अन्य की ओर से प्रस्तुत दावे को खारिज करते हुए महावीर सिंह, करण सिंह, अमर सिंह, विजय सिंह, शेर सिंह, राजेन्द्र सिंह, रतन कंवर पत्नी स्वर्गीय मंगेज सिंह नाते की पत्नी छत्तू सिंह के द्वारा किये गये काउण्टर क्लेम को स्वीकार फरमाया गया था, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत पीपली एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा लिया गया प्रस्ताव वास्तविकता के विपरित होने तथा अपीलार्थीगण को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने की गरज से ही अपीलाधीन आदेश राजनैतिक प्रभाव में आकर दिया गया है, जो अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ के द्वारा राजस्व वाद संख्या 4/2014 निर्णय दिनांक 12.11.2021 के खिलाफ मृतक भगवाना राम के वारिसान सहित अन्य वारिसान द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व अपील अधिकारी सीकर कैंप झुन्झुनूं में दिनांक 22.11.2021 को अपील संख्या 91/2021 प्रस्तुत की हुई है एवं उक्त पक्षकारों के द्वारा ही एक अपील काउण्टर क्लेम स्वीकार किये जाने के विरूद्ध अपील संख्या 92/2021 प्रस्तुत की हुई है, जिन अपीलों में स्थगन आदेश स्वीकार किया गया था तथा उक्त दोनों अपीलें वर्तमान समय तक राजस्व अपील अधिकारी के यहाँ लम्बित है, ऐसी स्थिति में जहाँ विवादित आराजीयात के सम्बन्ध में मुकदमेबाजी लम्बित हो वहाँ पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना कतई विधिसम्मत नही होने से अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है। न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.01.2025 को संशोधित कर आदेश दिनांक 10.01.2025 में न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी का स्थगन आदेश प्रभावी मानकर खसरा नम्बर 543 में किया गया भूमि आरक्षण निरस्त किये जाने का आदेश दिया गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा मूल आदेश दिनाक 08.01.2025 बिना किसी तथ्यों के गौर किये तथा बिना प्रभावी पक्षकारों को सुने केवल मात्र उपखण्ड अधिकारी के प्रस्ताव को स्वीकार कर पारित किया गया है, जबकि खसरा नम्बर 394 के साथ ही आदेश दिनांक 08.01.2025 में खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बारानी एक में से 0.14 हैक्टेयर की किस्म बदलने का आदेश दिया गया है, जबकि संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 में खसरा नम्बर 394 के साथ ही खसरा नम्बर 398 की किस्म बदलना वर्णित किया गया है, इस प्रकार से जिला कलक्टर के आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 में वर्णित खसरा नम्बरान् एवं स्थगन आदेश के बाबत गंभीर विरोधाभास होना यह दर्शित करता है कि अपीलाधीन आदेश बिना दस्तावेजों एवं प्रभावी पक्षकारों को सुने बिना पारित किया गया है, इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण की ओर से जिला कलक्टर झुन्झुनूं के यहाँ रिव्यू प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, जिस पर जिला कलक्टर द्वारा कोई कार्यवाही अमल में नही लाई गई तथा भू-माफिया किस्म के लोग अपीलार्थीगण के हक व अधिकार की पैतृक कृषि आराजीयात पर जबरन कब्जा कर उस पर ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने पर उतारू है, जिसका की कोई कानूनी अधिकार नही है, इस प्रकार से अपीलार्थीगण के पैतृक कृषि आराजीयात पर गलत रूप से विवाद लम्बित रहते हुए तथा उक्त आराजीयात अपीलार्थीगण के हक व अधिकार की होना न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा निर्णित किये जाने के बावजूद अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना विधि विरूद्ध होने से अपील स्वीकार फरमाये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी द्वारा धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलार्थीगण की कृषि आराजीयात को सिवायचक किये जाने के आदेश के विरूद्ध भी अपील लम्बित है, इस प्रकार से उक्त कृषि आराजीयात बाबत विवाद लम्बित होने के साथ ही अपीलेट न्यायालय के समक्ष उक्त कृषि आराजीयात की कार्यवाही लम्बित होने

से जिला कलक्टर झुन्झुनूं के द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाये जाने योग्य है तथा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलार्थीगण के हक में आदेश पारित फरमाये। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर जिला कलक्टर झुन्झुनूं के आदेश दिनांक 08.01.2025 व संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 को निरस्त फरमाया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 393 व 394 ग्राम पीपली, तहसील सूरजगढ, जिला झुन्झुनूं के सम्बन्ध में राजस्व वाद संख्या 4/2014 निर्णय दिनांक 12.11.2021 के अनुसरण में आराजी अपीलार्थीगण के हक में एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाकर अपीलार्थीगण को न्याय दिलवाने की कृपा करें।

6. राजकीय अधिवक्ता ने रेस्पोडेन्ट की ओर से बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर झुन्झुनूं द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपीलाधीन आदेश यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि विवादित भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज है। मौके पर आबादी बसी हुई है। आबादी बसे होने के पक्ष में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दस्तावेजात संलग्न है। ग्राम पंचायत पीपली द्वारा मॉग करने पर उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़ के पत्रांक राजस्व/2024/ 1551 दिनांक 20.12.2024 तथा तहसीलदार पिलानी के पत्रांक 29 दिनांक 08.01.2025 के द्वारा ग्राम पीपली स्थित भूमि खसरा नम्बर 393 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म चाही–1 में से सम्पूर्ण कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर भूमि ग्राम पंचायत पीपली को आबादी विस्तार हेतु आरक्षित करने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। ग्राम पीपली की जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार उक्त प्रस्तावित भूमि की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त प्रस्तावित भूमि मौके पर आबादी बसी हुई है तथा विवाद रहित बताई गयी है। उक्तानुसार ग्राम पंचायत पीपली द्वारा भूमि आरक्षण के संबंध मय प्रस्ताव पत्र भूमि को आबादी विस्तार किये जाने का निवेदन किये जाने पर उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा उक्तानुसार भूमि आरक्षित किये जाने बाबत् अनुशंषा की गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने आदेश क्रमांक प.12(3)(2) राज/2025/45 द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पीपली स्थित भूमि खसरा नम्बर

393 रकबा 0.25 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से 0.14 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 394 रकबा 1.30 हैक्टेयर किस्म बारानी–1 में से सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 543 रकबा 0.56 हैक्टेयर किस्म चाही–1 में से सम्पूर्ण कुल रकबा 2.11 हैक्टेयर में से 2.00 हैक्टेयर भूमि की किस्म खारिज कर ग्राम पंचायत पीपली को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आरक्षित किये जाने के आदेश पारित किये गये हैं। जिसके पश्चात् उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.01.2025 के सम्बन्ध में तहसीलदार पिलानी ने अपने पत्रांक भू.अ./2024/38 दिनांक 08.01.2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त आवंटित आदेश में वर्णित ख.न. 543 में माननीय न्यायालय आरएए सीकर द्वारा दिनांक 15.03.2022 से स्थगन आदेश प्रभावी है, अतः उक्त खसरा नम्बर में आबादी विस्तार हेतु भूमि आवंटन न्यायसंगत नही है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं ने अपने संशोधित आदेश क्रमांक प.12(3)( )राजस्व/2025/86 निर्णय दिनांक 10.01.2025 द्वारा आवंटित आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 543 में किया गया भूमि आरक्षण निरस्त किये जाने एवं शेष आदेश यथावत रखे जाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये गये। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। अतः अपीलाधीन आदेश में हम हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझते हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन व बलहीन होने से खारिज योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झुन्झुनूं द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.01.2025 एवं संशोधित आदेश दिनांक 10.01.2025 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय दिनांक 14.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर